भार्गव विवाह रीति-संग्रह — आदर्श मार्गदर्शिका

* प्रकाशक *

अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

कार्यालय : जी-197, सरिता विहार, नई दिल्ली-110 076

फोन नं.: 011-41403536, 65955086

Email: abbs@airtelmail.in • Website: bhargavasamajglobal.com

डीलक्स संस्करण 2013

मूल्य 40 रुपये (डाक खर्च अलग)

Coming Soon...

Live life king size

...you only live once

3 BHK ULTRA LUXURY INDEPENDENT FLOORS & VILLAS
AT VAISHALI ESTATE, GANDHI PATH, NEAR VAISHALI NAGAR JAIPUR.

Passion at work...

SKL™
committed to excellence
Builders & Developers

SHREE KRISHNA LANDBASE (P) LTD.
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
BUILDERS & DEVELOPERS
619, 6th Floor, Vaibhav Multiplex,
Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

t. +91 141 3018345
m. +91 98291 55434
w. www.sklandbase.com

भार्गव विवाह रीति-संग्रह

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**प्रस्तावना**	3
2.	**पहला परिच्छेद** – *सम्बन्ध से पूर्व*	5
3.	**दूसरा परिच्छेद** – *सगाई एवं गोद भराई*	6
4.	**तीसरा परिच्छेद** – *सामाजिक आचरण*	7
5.	**चौथा परिच्छेद** – *बारात आने से पूर्व कन्या पक्ष की रस्में*	9–12
6.	**पाँचवा परिच्छेद** – *वर पक्ष के यहाँ बारात जाने से पहले की रस्में*	13
7.	**छठा परिच्छेद** – *कन्या के यहाँ बारात आने के बाद की रस्में*	14–16
8.	**साँतवा परिच्छेद** – *विवाह संस्कार*	17–21
9.	**आठवाँ परिच्छेद** – *विवाह संस्कार के बाद की रस्में*	22
10.	**नवाँ परिच्छेद** – *बारात वापिस आने के बाद की रस्में*	23
11.	**परिशिष्ट** – *विवाह में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का विवरणं*	24

संलग्न : एक लग्न एवं चार भात पत्रिकाएँ।

In Memory of Late Smt. Usha Bhargava & Late Shri Dinanath Bhargava
With Best Wishes

वरूण हॉस्पीटल

आई0सी0यू0 / डायलैसिस / लैप्रोस्कोपी / हार्ट केयर

Approved Center for Dip. G.O. & Dip. C.H. Course For M.B.B.S. Doctor

Affiliated to Smile Train कटे होंठ एवं तालू का निःशुल्क उपचार

विष्णु पुरी, अलीगढ़ - 202 001

फोन : 0571 - 3208443 ई-मेल : varun_hospital@yahoo.co.in

A UNIT OF TRUST

VARUN

TRAUMA, BURN & HEART CARE CENTER

A Unit of Varun Trauma & Burn Center (P) Ltd.

Qwarsi Chauraha, Ramghat Road, Aligarh

E-mail: varun_hospital@yahoo.co.in, Ph No: 05713262666

डा0 (श्रीमती) मणि भार्गव

एम.बी.बी.एस., डी.जी.ओ.
एफ.आई.सी.एम.सी.एच.
इयान डोनाल्ड डिप्लोमा इन सोनोग्राफी
प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ

डा0 संजय भार्गव

एम.डी.
Intensivist

FREE CLEFT LIP AND PALATE SURGERY (SMILE TRAIN)

SUPER SPECIALITIES

- Cardiology, Angioplasty & Angiography
- Neurology & Neuro Surgery
- Nephrology, Dialysis & Uro Surgery
- Gastro Enterology & Gastro Laparoscopic Surgery
- Diabetes & Hormonol Disorder
- Gynae & Obstetric Surgery
- Pediatrics / Neonatal & Pediatric Surgery
- Trauma & Orthopaedic Surgery
- Internal Medicine & Critical Care Unit
- Oncology & Oncology Surgery
- Cosmetic / Corrective & Plastic Surgery
- Physiotherapy

HEALTH CHECKUP

- Executive Health Checkup
- Comprehensive Health Checkup
- Diabetic Health Checkup
- Cardiac Health Checkup

FACILITIES

- 20 Bedded ICU
- 5 Bedded CCU
- 5 Bedded Burn ICU
- 3 Major OT
- 2 Minor OT
- Deluxe Rooms
- Private Rooms
- Semiprivate Rooms
- General Wards
- Dialysis - 3 Dialysis Machines
- Advanced Pathology
- Digital X-Ray
- Echo / TMT / Holter / Pace Maker
- Pharmacy
- Cardiac Ambulance
- Canteen
- 24 Hrs. Emergency

प्रस्तावना

विवाह द्वारा केवल वर व कन्या ही एक सूत्र में नहीं बंधते हैं वरन् दो परिवारों के मध्य स्थायी सम्बन्ध स्थापित होता है। भार्गव जाति में विवाह के अवसर पर सम्पन्न होने वाले कार्य तथा समाज में आदर्श एवं स्वस्थ परम्परा अपनाने के उद्देश्य से भार्गव रीति–संग्रह सर्वप्रथम आगरा जुबली सम्मेलन 1939 में पारित की गई। उपरान्त में दिल्ली सम्मेलन 1949, प्रयाग सम्मेलन 1954, मथुरा सम्मेलन 1955, जयपुर सम्मेलन 1964, लखनऊ सम्मेलन 1966, वाराणसी सम्मेलन 1968 तथा देहली सम्मेलन 1972 में संशोधित एवं भार्गव सभा के विशेष अधिवेशन 14–15 अक्टूबर 1978 में समयानुकूल परिवर्तन सहित स्वीकार की गई ।

प्रायः तीन वर्ष पूर्व (1999) भार्गव रीति–संग्रह में संशोधन पर विचार किया गया तथा सभी स्थानीय सभाओं एवं अनेक वरिष्ठ सदस्यों से सुझाव आमन्त्रित किये गये । अनेक क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए और पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप देते समय समाज कल्याण उपसमिति के सदस्यों ने भी अनेक उत्तम सुझाव दिये।

भार्गव रीति–संग्रह आपके समक्ष एक आदर्श विवाह रीति मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत है, जिसे कोटा में सम्पन्न अखिल भारतीय भार्गव सभा के 112वें अधिवेशन (दिसम्बर 2001) के अवसर पर पारित किया गया है।

यह रीति–संग्रह हमारी बाध्यता नहीं है। इसमें समय, परिस्थिति अनुसार अपनी एवं दूसरों की इच्छाओं एवं भावनाओं को मान देते हुए परिवर्तन की स्वतन्त्रता है।

इस रीति–संग्रह में प्रकाशित कुछ विशेष प्रावधान की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और जिन्हें हमारा आग्रह है कि पूर्व में ही पढ़ लिया जाय।

सम्बन्ध से पूर्व (धारा 5)	पृष्ठ 5	दिन का विवाह (धारा 14)	पृष्ठ 8
दोनों परिवार का पारस्परिक परिचय (अंतिम पैरा)	पृष्ठ 6	शालीनता एवं उत्तम आचरण (धारा 16)	पृष्ठ 8
		जयमाल	पृष्ठ 15
दहेज मुक्त विवाह (धारा 10)	पृष्ठ 7	न्यातगुरी हेतु एक विशेष अनुग्रह	पृष्ठ 15
जब कन्या पक्ष, वर पक्ष के नगर से विवाह करता है।	पृष्ठ 7		

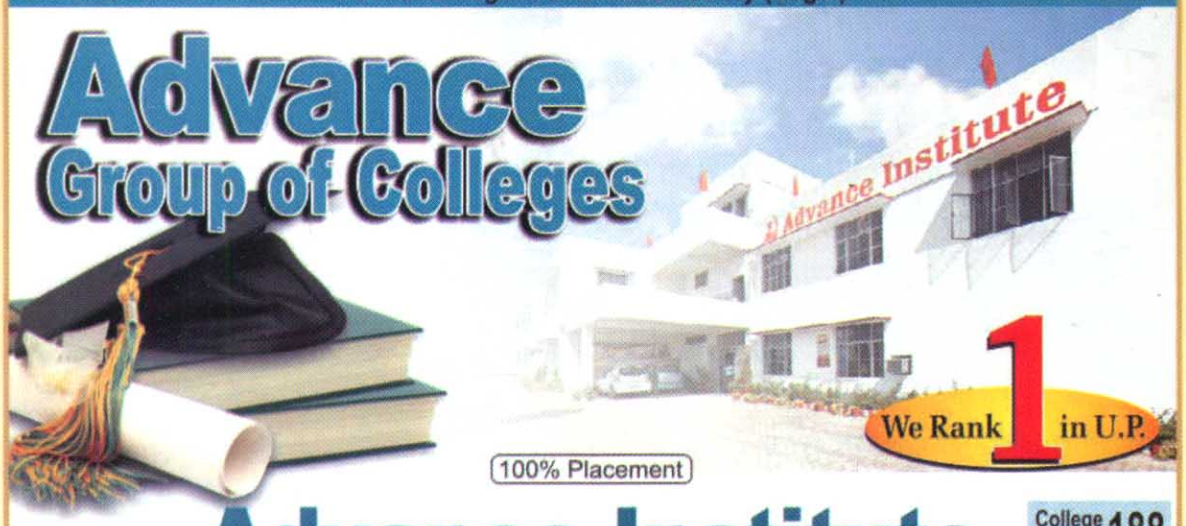

B. Pharm
Managed by :
Pt. H.S. Bhargava Charitable Society (Regd.)
M. Pharm
Advance
Group of Colleges
Advance Institute
We Rank 1 in U.P.
100% Placement
Advance Institute
College Code 188
of Biotech & Paramedical Sciences
Approved by AICTE, PCI & Affiliated to G.B.T.U., Lucknow
Courses Offered
B.Pharm
M.Pharm
• Pharmaceutics
• Pharmachemistry
• Pharmacognosy
• Pharmacology
B. Pharm - 2nd Year
Rank in UPSEE - 2013 or 60% marks in D. Pharm
M. Pharm -
Rank in UPSEE-2013 or 60% marks in B. Pharm
ELIGIBILITY
B. Pharm - 1st Year
Rank in UPSEE - 2013 or 45% marks in PCM/PCB in 10 + 2 (Intermediate)
Dr. C. S. Bhargava (Chairman)
Mobile : 9415040326, 9336651555
Dr. Mayank Thakur (Director)
Dr. Shilpi Bhargava (Directress)
Prof. G. S. Bhargava (Administrator)
OUR RECRUITERS
Panacea Biotec
Pfizer
RAMA Medicare
THEMIS
WOCKHARDT
Dabur
BEXIMCO PHARMA
Zydus Cadila
RANBAXY
Ipca
Glenmark
Elder
torrent
Abbott
MACLEODS
Profic
Cipla
pharmalink
AstraZeneca
NESTOR
SUN
Dr. Reddy's
Nicholas
CAMPUS
355 & 366, Naramau, G. T. Road (Opp. ALIMCO), Kanpur - 209 217
Phones : 0512-3277111 / 222 / 2770077 / 2770099
Website : www.advancecolleges.org E-mail : advancecolleges@gmail.com

भार्गव

विवाह रीति-संग्रह

भार्गव समाज में प्रचलित विवाह सम्बन्धी रीतियों की आदर्श मार्गदर्शिका

पहला परिच्छेद

सम्बन्ध से पूर्व

धारा 1. आयु – विवाह के समय वर की आयु 25 वर्ष व कन्या की आयु 21 वर्ष से कम न हो। वर का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना व कन्या का पूर्ण शिक्षित व निपुण होना श्रेयष्कर होता है।

धारा 2. अनुरूपता – विवाह सम्बन्धों में परिवारों का अनुरूप होना अच्छा होता है, परन्तु ऊँच–नीच, छोटे–बड़े तथा धनी–निर्धन का भेद–भाव अधिक नहीं रहना चाहिये। समाज के हित में विवाह आडम्बर–रहित (pretension free) एवं रीति–संग्रह के अनुरूप होने चाहिये।

धारा 3. वेश–भूषा – वर एवं कन्या का पहनावा सौम्य, देश व समाज की वेश–भूषा के अनुकूल होना चाहिये।

वर एवं कन्या की वेशभूषा

धारा 4. वर्जित सम्बन्ध – वर व कन्या के गोत्र एवं कुलदेवी दोनों ही एक न हों। भार्गव परिवारों की अति सीमित संख्या होने के कारण गोत्र या कुलदेवी में से कोई भी एक प्रथक हो, तो विवाह करना वर्जित नहीं है।

धारा 5. सम्बन्ध से पूर्व – सम्बन्ध हेतु बातचीत करने के पहिले दोनों पक्षों को जन्म पत्रियों का मिलान (यदि उसमें आस्था रखते हों) कर लेना चाहिये। दोनों पक्षों का एक दूसरे को हर दृष्टि से देख–समझ लेना तथा लड़के–लड़कियों का मिलकर अपनी सहमति देना अति आवश्यक है। लड़के तथा लड़की दोनों की आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय इत्यादि का सही विवरण देना चाहिये। इसमें दोनों पक्षों को किसी भी तरह का दुराव–छिपाव नहीं करना चाहिये, जिससे भविष्य में कटुता व समस्याएं पैदा न हों। सम्बन्ध पक्का होने के पश्चात सम्बन्ध तोड़ना उचित नहीं है। मनमुटाव होने पर एक अथवा अनेक वरिष्ठ, सम्माननीय एवं विश्वासी (senior, respective and reliable) बन्धुओं की मध्यस्थता (mediation) से वैचारिक विषमता (discord) को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। किसी कारणवश यदि विवाह पूर्व ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें तथा ऐसा लगता हो कि उस रिश्ते से लड़के अथवा लड़की का भविष्य ठीक नहीं रहेगा तो आपसी बातचीत कर सम्बन्ध न करना ही उचित होगा।

दूसरा परिच्छेद

सगाई एवं गोद भराई

धारा 6. सम्बन्ध सहमति – दोनों पक्षों की आपसी सहमति हो जाने पर प्रायः वर पक्ष वाले कन्या को कुछ भेंट देकर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। कन्या के परिजन भी वर को भेंट व तिलक कर अपनी सहमति देते हैं। कन्या पक्ष के परिवार इस अवसर पर वर पक्ष के उपस्थित परिवार जनों को भी भेंट स्वरूप कुछ दे सकते हैं।

धारा 7. अंगूठी भेजना – सम्बन्ध पक्का हो जाने पर कन्या पक्ष को चाँदी की एक अंगूठी, रोली, अक्षत, कुछ मिठाई व फल तथा 101 रुपये वर के तिलक के लिए शुभ दिन दिखलाकर भेजने चाहिये। चाँदी शुभ मानी जाती है।

इसीलिये लक्ष्मी, गणेश, पायजेब इत्यादि चाँदी के ही होते हैं। अतः अन्य कोई वस्तु देना नहीं चाहिये।

अगूँठी पहनाना

धारा 8. अँगूठी पहनाना – अंगूठी पहनाने की रस्म लग्न (देखें धारा 32–पृष्ठ13) के साथ की जानी चाहिये। पूजन कराकर कन्या पक्ष से प्राप्त अंगूठी वर को पहनावें तथा तिलक के आये रुपये वर को दिये जायें। फिर बहन अथवा बुआ द्वारा आरता किया जाय। उसके पश्चात लग्न की रस्म की जाये। आरते में 11 से 101 रुपये तक श्रद्धानुसार दिये जा सकते हैं।

गोद भराई की रस्म

धारा 9. सगाई एवं गोद भराई – सम्बन्ध तय हो जाने पर वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए एक या दो साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार एवं सौभाग्य सामग्री, फल व मिठाई इत्यादि लेकर लड़के के माता–पिता, भाई–बहन, बहनोई एवं भाभियाँ कन्या पक्ष की सुविधा के अनुसार किसी शुभ दिन उनके शहर जाकर उपरोक्त वस्तुएं लड़के की बहनों द्वारा भेंट करें। इसमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होना चाहिये। वर पक्ष की ओर से कम से कम व्यक्तियों का जाना ही उचित है। दोनों पक्षों में कीमती उपहार का आदान–प्रदान न किया जाये।

(गोद भराई की रस्म शादी के अवसर पर भी आयोजित की जा सकती है।)

दोनों परिवारों का पारस्परिक परिचय – आजकल सगाई के अवसर पर दोनों पक्षों के प्रायः सभी निकटतम सम्बन्धी एवं मित्रगण एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे अवसर का सदुपयोग विधिपूर्वक पारस्परिक परिचय हेतु करना चाहिये। (देखें पृष्ठ 15 न्यातगुरी)। वर एवं कन्या के परिवारों के सदस्यों का आपसी परिचय दोनों परिवारों एवं समाज के एकीकरण, बन्धुत्व एवं मैत्रीभाव (integration, brotherhood, freindship) हेतु लाभकारी होगा ।

तीसरा परिच्छेद

सामाजिक आचरण

धारा 10. दहेज मुक्त विवाह – विवाह दहेज मुक्त हो। ***दहेज देना एवं लेना एक सामाजिक एवं वैधानिक अपराध (social unlawful crime) है।*** उसमें किसी प्रकार की माँग अथवा वैभव का प्रदर्शन नहीं हो। इस धारा का पालन निष्ठापूर्वक होना चाहिए।

धारा 11. बारात

(1) बरातियों की संख्या पत्र व्यवहार या वार्ता द्वारा पहले ही निश्चय कर लेनी चाहिये। बराती कम से कम संख्या में होने चाहिये, जिससे कन्या पक्ष को असुविधा व अनावश्यक आर्थिक बोझ न हो।

(2) जहाँ तक हो सके कन्या पक्ष को वर पक्ष के नगर में जाकर विवाह करने के लिये विवश नहीं करना चाहिये।

(3) यदि आपसी राय से कन्या पक्ष वाले स्वयं वर पक्ष के नगर से विवाह करता है, तो वर पक्ष को स्थानीय सुविधाएँ कराने (local facilities provide) में कन्या पक्ष की सहायता, अपनी जिम्मेदारी समझकर, करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में बरातियों की संख्या अधिक होने की सम्भावना रहती है। अतः लगभग 100 से अधिक बरातियों के होने पर वर पक्ष को पहल करके कन्या पक्ष के खर्चे में सहयोग करना श्रेयस्कर होगा।

जब कन्या पक्ष, वर पक्ष के नगर से विवाह करता है :–

वर पक्ष का कर्त्तव्य –

(1) कन्या पक्ष को ठहराने, विवाह स्थल, स्वागत समारोह स्थल, टेन्ट हाऊस, हलवाई एवं स्थानीय खरीदारी के लिए उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।

(2) विवाह के अवसर पर स्वागत समारोह में वर पक्ष की ओर से अधिक व्यक्ति आमंत्रित नहीं हों ताकि कन्या पक्ष को असुविधा न हो तथा वह उचित स्वागत कर सकें। अधिक बरातियों के होने पर वर पक्ष को पहल करके कन्या पक्ष के खर्चे में सहयोग करना श्रेयस्कर होगा।

कन्या पक्ष का कर्त्तव्य –

(1) विवाह तिथि के 3–4 माह पूर्व उस नगर में जाकर अपने ठहरने, विवाह स्थल, स्वागत समारोह स्थल, हलवाई एवं अन्य व्यवस्था करके एडवान्स आदि देकर आऐं।

(2) विवाह के दो या तीन दिन पूर्व जाकर सभी व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लें जिससे विवाह के अवसर पर कोई कठिनाई न हो।

(3) कन्या पक्ष अपने स्थानीय आवागमन व्यवस्था का भी प्रबन्ध स्वयं करें।

(4) विवाह सम्पन्न होने के पश्चात दो या तीन व्यक्ति अतिरिक्त ठहरकर सम्पूर्ण हिसाब आदि करके जाऐं।

धारा 12. बारात की अवधि – बारात कम से कम समय रहने से दोनों पक्षों को सुविधा रहेगी। एक ही दिन में विवाह के समस्त कार्यक्रम सम्पन्न करने का प्रयास करना चाहिये।

धारा 13. शुभ मुहूर्त – ध्यान रहे विवाह धार्मिक एवं पवित्र कार्य है। इसमें आडम्बर बाधक है, लग्न मुहूर्त का अपना महत्व है। शुभ घड़ी जो निश्चित की गई है उसी में विवाह सम्पन्न होना चाहिये।

धारा 14. दिन का विवाह – विवाह का दिन में होना श्रेयस्कर होगा। इससे खर्च कम होगा। सभी कार्य शांतिपूर्वक, सुगमता और समय से होंगे। इससे अनेक अन्य सुविधाएँ व लाभ हैं :–

(1) घोड़ी, बाजा, बिजली तथा जेनरेटर इत्यादि का खर्च आधे से भी कम होगा।
(2) बारात को दो दिन ठहरने की विवशता नहीं होगी।
(3) जनवासे का 2 दिन का खर्च नहीं पड़ेगा।
(4) बाराती व अन्य सम्बन्धी एक दिन में ही सभी कार्यों में सम्मिलित होकर अपनी दिनचर्या पुनः प्रारम्भ कर सकेंगे।
(5) भोजन इत्यादि पर भी खर्चा कम पड़ेगा।
(6) विवाह बहुत शांतपूर्ण व तनाव रहित वातावरण में होगा।
(7) शुभ मुहूर्त के समय का पालन हो सकेगा।
(8) देर रात्रि में सभी रीति–रिवाज विधि पूर्वक नहीं हो पाते हैं।
(9) देर रात तक जागने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रायः बच्चे, वयोवृद्ध लोग अधिक देर तक नहीं जाग पाते हैं।
(10) निमन्त्रित मित्र व सम्बन्धियों को रात में लौटने में जान–माल का खतरा न होगा।

धारा 15. मांगलिक अवसरों पर सत्कार – सगाई, लग्न, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर मंगल गान गवाये जा सकते हैं। आगन्तुकों का यथासम्भव सत्कार सामर्थ्य अनुसार किया जाना चाहिये। जहाँ तक हो सके व्यर्थ का आडम्बर न करें।

धारा 16. शालीनता एवं उत्तम आचरण – वैवाहिक अवसर पर अथवा अन्य मांगलिक अवसर पर मद्यपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहना चाहिए। रास्ते में नाचना आज बहुत प्रचलित हो गया है। विवाह आदि अवसरों पर नृत्य व गान अवश्य ही हमारे उत्साह व उमंग के प्रतीक हैं, पर रास्ते में सड़क पर नाचना व रास्ता रोक कर आम जनता को कष्ट पहुँचाना, उल्लास व उमंग का भौंडा प्रदर्शन है जो धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक (religious, social and cultural) दृष्टि से अवांछनीय है। हमें चाहिये अपनी संस्कृति के अनुरूप (according) उत्साह व हर्ष को बाँटें।

कन्या पक्ष के सभी स्वजनों व अतिथियों को भी अपने आनन्द में शामिल करें। अतः अच्छा होगा कि कन्या पक्ष द्वारा उपलब्ध सुरक्षित विवाह प्रांगण में ही नृत्य–गान का प्रदर्शन करें।

धारा 17. विवाह विधि – सनातन तथा आर्य समाज दोनों ही प्रकार की विवाह पद्धति में अधिकांश श्लोकों का चयन ऋग्वेद व अथर्ववेद से किया गया है। अतः विवाह पद्धति समान ही है। सनातन धर्म पद्धति में गणेश स्थापना व नवग्रह पूजा होती है तथा कुछ दान इत्यादि का देना आवश्यक है, जबकि आर्य समाज पद्धति में दान ऐच्छिक है। विवाह रीति कोई भी अपनाएँ, किन्तु पण्डित ऐसे हों जो श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कर सकें तथा उनका अर्थ हिन्दी में बताते जाएँ। यदि श्लोकों का उच्चारण ठीक नहीं होगा, तो मंगल की कामना करने की जगह उच्चारण की तनिक सी गलती अमंगल की कामना करवा सकती है।

चौथा परिच्छेद

बारात आने से पूर्व कन्या पक्ष की रस्में

धारा 18. देवस्थापना – समस्त शुभ कार्य देव–पूजन से आरम्भ होते हैं। अतः लग्न पत्रिका लिखे जाने से पूर्व उसी दिन एक कमरे को साफ करके, उसमें कुलदेवी तथा सेढ़ माता की स्थापना इस प्रकार की जावे जिससे पूजन करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे। उसी स्थान पर एक कोरा मिट्टी का कलश जल भर रख दिया जावे। प्रतिदिन उस कमरे में देवताओं के निकट दिया जलाना चाहिये। विवाह के सभी नेगों के बाद इस कमरे में आकर कन्या नमन करे।

धारा 19. पूजन की थाली – एक थाली (चाहें तो सजाकर) में पूजन की सामग्री अर्थात् फूल, बताशे, धूप, दो पान, दो साबुत सुपारी, एक दीपक, कलावा बंधे पात्र में जल, एक सीप जिसमें रोली, चावल और हल्दी रक्खी जाय। गणेश जी की मूर्ति अथवा एक सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना उसी थाली में की जाय। यह पूजन की थाली प्रत्येक नेग व पूजन के समय काम में लाई जायेगी। पूजन के लिये बैठने के लिये दो नये पट्टे लकड़ी के (बिना लोहे की कील के) अथवा प्लास्टिक के लें।

धारा 20. लग्न पत्रिका एवं भात पत्रिकाएँ – विवाह की तिथि से 5 अथवा 3 दिन पूर्व (किसी भी शुभ दिन) कन्या पक्ष की ओर से आमन्त्रित कुटम्बियों और बिरादरी के समक्ष लग्न पत्रिका एवं भात पत्रिका लिखवाकर तथा कन्या द्वारा पूजन कराकर भेजी जाती हैं।

लग्न पत्रिका में विवाह एवं अन्य रस्मों की तिथियों की सूचना कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहाँ भेजी जाती है। कन्या पक्ष की ओर के सभी पुरुषों के नाम लग्न पत्रिका में लिखकर विवाह का निमंत्रण, वर पक्ष के सभी पुरुषों के नाम लिखकर, भेजा जाता है।

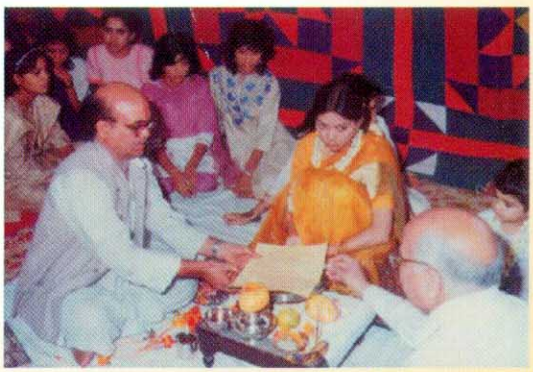

लग्न पत्रिका लिखने की पूजा

भात पत्रिका में भात लिये जाने का समय एवं तिथि लिखी जाती है और विवाह में सम्मिलित होने की प्रार्थना की जाती है। भात पत्रिका **चार** लिखी जाती हैं। पहली भात पत्रिका सर्वप्रथम गणेश जी के नाम लिखी जाती है। दूसरी भात पत्रिका कन्या के नाना–मामा (भातई) के नाम, तीसरी कन्या के माता के नाना–मामा (बड़ भातई) के नाम लिखी जाती है। चौथी भात पत्रिका कन्या के पिता के नाना–मामा (बड़ भातई) के नाम लिखी जाती है।

विधि – लग्न तथा भात दोनों ही पत्रिकाओं में सबसे ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर किनारों पर रोली या हल्दी की बिन्दियाँ कर दी जावें और पत्रिकाओं के अन्दर हल्दी, सुपारी, दूब, चावल और एक–पाँच रुपये का सिक्का डालकर उसकी तह करके ऊपर से दो–दो कलावे अर्थात् दो डोरे लपेटने चाहिये।

(लग्न की एक व भात की चार पत्रिकाएँ इस पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं।)

लग्न के समय कन्या को गुलाबी गोटे की साड़ी एवं नई नथ पहनाकर आँगन में आटे का चौक पुरवा कर, एक पट्टे पर कन्या को तथा दूसरे पट्टे पर विनायक को बैठाया जाये। कन्या से गणेश जी व नवग्रह का पूजन करवाया जाए। पत्रिकाएँ उसकी गोद में दी जावें जिनको लेकर वह देवस्थान में जाकर कुल देवी आदि का पूजन करे।

एक **सीधा** जिसमें सवा किलो मैदा या आटा, उसका आधा गुड़ तथा गुड़ का आधा घी रखा जाये। एक पात्र में मूंग, एक में चावल, एक में हल्दी की गाँठ, सुपारी व चौथे पात्र में कुकड़ी रखी जाय। सीधा एवं कुल देवी की पिटारी में कुल की सभी स्त्रियाँ छींटा देकर पैसे चढ़ावें। सवासिनी सभी स्त्रियों के हाथ में कलावा बाँधें, बताशे दें तथा आरता करें। कन्या की माता 'सीधा' उठाकर अपनी सवासिनी को दे। **सीधे के सामान की जगह रुपए भी दे सकते हैं।** सभी सामान देवस्थान में रखें। उसके बाद बहन अथवा भुआ से आरता कराकर भेंट दी जाये एवं वारी फेरी की जाये। आगन्तुकों का सत्कार स्थानीय रीति–रिवाज के अनुसार किया जाये। इसके उपरान्त चिट्ठियाँ यथास्थान भेज दी जायें।

धारा 21. गणेश पूजन (हल्द हाथ) – लग्न पत्रिका के अनुसार विवाह से पहले दोनों पक्ष के यहां एक ही दिन वर व कन्या को तेल उबटन लगाकर स्नान कराया जाये और काली चूड़ियाँ पहनाई जायें। चौक पुरवा कर तथा पट्टे पर बैठाकर उनके हाथ से गणेश जी व कुल देवी का पूजन कराया जावे। बहन अथवा भुआ से आरता कराया जाये। आरता करने वाले को थाली में भेंट दी जाये एवं आरता करने वाली बहन, बुआ वारी फेरी करें। अन्य महिलायें भी वारी फेरी कर सकती हैं।

***धारा 22. नान्दी मुख्य यज्ञ (वृद्धि)** – नांदी मुख्य यज्ञ में सभी देवताओं का आव्हान और पूजन आशीर्वाद हेतु किया जाता है। **(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)**

धारा 23. देव पूजन – तेलताई से पूर्व रात्रि को देवताओं आदि का पूजन एवं सेढ़ माता का पूजन किया जावे तथा रतजगा किया जाये। सेढ़ माता के सामने 11 रुपये और सवा किलो के पांवड़े रखे जावें। यह रुपये एवं पावड़े सवासनी शादी के बाद अपने साथ ले जाती है।

(यदि कुलदेवी की प्रतिमा आपके परिवार में नहीं है तो छोटी सी टोकरी में लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाकर 5 हल्दी की गाँठ व 5 सुपारी तथा थोड़ी सी दूब रखकर उसको ऊपर से ढक कर कुलदेवी की स्थापना की जाए।)

***धारा 24. तेलताई** – रात्रि को देवताओं एवं सेढ़ माता के पूजन के बाद प्रातः वर या कन्या को मय विनायक के उबटन लगाकर अपने–अपने घरों में तेल चढ़ाकर नहलाया जाता है। यह रस्म चौक पुरवाकर कन्या व वर को पट्टों पर बिठाकर की जाती है। एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर चार सुहागिन – भाभी, मामी, चाची इत्यादि बारी–बारी से हरी दूब हाथ में लेकर और तेल में डुबाकर वर व कन्या के पैरों के पंजे व दोनों घुटनों और दोनों कन्धों और माथे पर तीन–तीन बार चढ़ाती हैं व मांगलिक गीत गाये जाते हैं। यह चारों औरतें **हथलगी** कहलाती हैं। इसके बाद सुहागी बरूठे हलुवा पूरी से जिमाये जाते हैं। वर व कन्या का मुँह मीठा कराया जाता है।
(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)

***धारा 25. कांकन बांधना** – तेलताई होने के पश्चात उसी दिन 4 कांकन बना लें। कांकन कन्या के बायें हाथ व दाहिने पैर में बाँधा जाता है। वर के दाहिने हाथ में एक कांकन तथा बायें पैर में दूसरा बाँधें और उसमें मजबूत गाँठ लगा दें। एक कांकन सेढ़ माता के हाथ अथवा पैर में बाँध दिये जायें। चौथा कांकन थाली में रहने दें। कांकन भाभी, चाची अथवा मामी आदि बाँधती हैं। **(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)**

नोट :– कांकन कैसे बनाया जाये – कलावे में दो छल्लों (एक लोहे का, एक लाख का) के साथ राई व नमक की छोटी–छोटी सी पोटली बनाकर बाँधी जायें।

*** धारा 26. ब्रह्मा पूजन (चाक पूजन)** – कन्या के विवाह में मांढा खड़ा करने से पूर्व ब्रह्मा जी की चाँदी अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजन किया जाये। यह पूजन चाक पूजन के स्थान पर ही किया जाता है। ब्रह्मा जी के प्रतीक के रूप में चाक का पूजन भी किया जा सकता है। **(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)**

***नोट :– धारायें 22, 24, 25, 26 आवश्यक नहीं हैं, इच्छानुसार की जा सकती हैं।**

धारा 27. भात – यह रस्म चाक पूजन के बाद होती है। भात में कन्या के मामा–नाना के यहाँ से प्रचलित प्रथा अनुसार निम्न सामान आता था। **नीचे लिखी वस्तुओं में से मोटे अक्षरों में लिखी वस्तुएँ आज भी मान्य हैं :–**

नोट :– भात का सामान – कन्या की माता की चूंदड़ी, एक साड़ी, एक ब्लाउज, पेटीकोट, रूमाल व आभूषण या उपहार, **हरी लाल चूड़ियाँ, मेंहदी डोरे। कन्या के पिता का जोड़ा,** सास की तीयल, ससुर का जोड़ा व तिलक, **कन्या के लिये वस्त्र, तीन जोड़ी बिछिये एवं एक जोड़ी अनवट,** कन्या दान के लिये आभूषण या उपहार तथा अन्य रिश्तेदारों के तिलक। थाली में कुछ रुपए तथा कन्या के भाई, बहनों के कपड़े। नायन व महरी के लिये धोती। दो कलश, दो लोटे, एक टोकनी व लोटा, पलंग व पलंग का बिछावन, तकिया, चौकी तथा चौकी का बिछावन, परात एक तथा थाली एक।

असुविधा होने पर सामान के बजाय भात के रुपये भी दिये जा सकते हैं।

चाक पूजन के पश्चात् भात लिया जाये। सबसे पहले कन्या की माता अपने भाई, भावज व भातइयों का हार, फूल व मंगल गान से स्वागत करें और तिलक कर गोदी में अपनी इच्छानुसार रुपये दें। इसके बाद कन्या की माता आरता करे व भाई उसमें रुपये डालें। फिर भातई कन्या की माता को चूंदड़ी ओढ़ावें और कन्या के पिता को तिलक करके जोड़ा व रुपये दें। इसके पश्चात् भातई कन्या के बाबा, ताऊ, चाचा, भाई, फूफा, जीजा तथा उनके बच्चों में जो भी उपस्थित हों, उनको भेंट दें। अनुपस्थित सम्बन्धियों को तिलक न दिये जायें।

भातई कन्या की माता को चूँदड़ी उढ़ाते हुए

नोट :– यदि कन्या के मामा स्वयं न उपस्थित हों तो केवल कन्या के पिता का तिलक ही भेजा जाये।

विवाह के पश्चात भातईयों की विदाई में सब भाई, भतीजों के तिलक, भाभी व भतीज बहुओं के ब्लाउज के कपड़े, मिठाई व अन्य पकवान इत्यादि भेंट स्वरूप दिये जा सकते हैं।

धारा 28. विवाह मंडप – मांढ़ा एक मंडप है जो कन्या पक्ष के यहाँ विवाह स्थल पर खड़ा किया जाता है और उसी के नीचे फेरे होते हैं।

मांढ़ा कैसे बनाया जाता है – *एक बल्ली या मोटा बाँस जो **थाम** के नाम से पुकारा जाता है, उसे गेरू से रंगकर और पिट्ठी से चीतकर, गड्ढा खोदकर खड़ा कर दें। कुटम्बी गड्ढे में एक रूपया डाल दें और थाम को खड़ा करते समय अपना–अपना हाथ लगा दें। उसके चारों कोनों पर चार बाँस उतने ही लम्बे लेकर गाड़े जावें। इन पाँचों बाँसों के ऊपर एक कपड़ा तानकर चारों कोने मूंज की रस्सियों अथवा सुतली से बाँध दिये जावें। एक छोटी डलिया में 10 रुपया, दो सुपारी तथा दो लड्डू रखकर, गुलाबी कपड़े में बाँधकर, थाम के ऊपर के सिरे में बाँध दें। इसको बुझावा कहते हैं।*

धारा 29. फोकन्डी – इसके पश्चात कन्या की माता मेवा, फल एवं कुछ मिठाई के साथ इच्छानुसार रुपया नकद कुटुम्ब की बड़ी बूढ़ी को देकर उनका सम्मान करें एवं आर्शीवाद प्राप्त करें। यदि बुजुर्ग स्त्री न हो तो परिवार के बुजुर्ग पुरुष को फोकंडी देकर सम्मान करें। **(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)**

धारा 30. ब्रह्म भोज – तैयार भोजन से ठाकुर जी का भोग लगाया जाये। उपस्थित परिवार के ब्राह्मण/दामाद तथा 5 सुहागिन व 2 बरूटे (बहिन के लड़के) को भोजन पहले कराया जाये। **(यह धारा आवश्यक नहीं है, इच्छानुसार की जा सकती है।)**

दिन में हो विवाह, सादगी का हो निर्वाह ।

विवाह किसी स्पर्द्धा का अवसर नहीं है ।
हमको भव्यता के स्थान पर सौम्यता का प्रदर्शन करना चाहिए ।

विवाह आनन्द व उल्लास का पर्व है ।
उसमें भाईचारे का भाव व सहजता होनी चाहिए ।
अनावश्यक और खोखले दिखावे से बचना चाहिए ।

पांचवाँ परिच्छेद

वर पक्ष के यहाँ से बारात निकलने से पहले की रस्में

धारा 31. देवस्थापना – चौथे परिच्छेद में अंकित धारा 18, पृष्ठ 13 के अनुसार की जाये।

धारा 32. लग्न पत्रिका – लग्न पत्रिका के प्राप्त होने पर शुभ दिन सम्बन्धियों एवं स्थानीय रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाये। वर को मय विनायक पट्टे पर बैठाकर गणेश पूजन, नव ग्रह पूजन कर कन्या पक्ष से आयी अंगूठी वर को पहनावें एवं तिलक के आये रुपये वर को दे। तत्पश्चात प्राप्त हुई लग्न पत्रिका वर को दें। वर की बहन अथवा भुआ आरता करें व वारीफेरी करें। आरता करने वाले को वर द्वारा थाली में भेंट दी जाये। लग्न पत्रिका सबके समक्ष पढ़ी जाये। इसके बाद एक भात पत्रिका पूजा की थाली में श्री गणेश जी के नाम, दूसरी भात पत्रिका वर के मामा--नामा (भातई) तथा एक–एक पत्रिका वर के माता तथा पिता के नाना–मामा (बड़ भातई) के नाम लिखकर भिजवाई जाये। आमन्त्रित आगन्तुकों को स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार सत्कार किया जाये। लग्न एवं भात पत्रिकाओं का प्रारूप इस पुस्तिका के अन्त में संलग्न है।

धारा 33. गणेश पूजन (हल्द हाथ) – चौथे परिच्छेद में अंकित धारा 21, पृष्ठ 14 के अनुसार किया जाये।

***धारा 34. नान्दी मुख यज्ञ (वृद्धि)** – **इस धारा को समाप्त किया जा रहा है।**

***धारा 35. तेलताई** – चौथे परिच्छेद में अंकित धारा 24, पृष्ठ 14 के अनुसार किया जाये।

***धारा 36. कांकन** – चौथे परिच्छेद में अंकित धारा 25, पृष्ठ 15 के अनुसार किया जाये।

धारा 37. ब्रह्मा पूजन – चौथे परिच्छेद में अंकित धारा 26, पृष्ठ 15 के अनुसार किया जाये।

धारा 38. भात – लड़के के नाना मामा के यहाँ से प्रायः निम्न सामान आता है। वर के वस्त्र एवं गुलाबी दुपट्टा गोटा लगा हुआ, वर के पिता का जोड़ा–1, वर की माता की चूंदड़ी–1, तिलक इच्छानुसार आदि। इसके अतिरिक्त थाली में नकद रुपये इच्छानुसार दिये जा सकते हैं। सामान के स्थान पर रुपये भी दिये जा सकते हैं। भात धारा 27, पृष्ठ 15 में अंकित विधि के अनुसार लिया जाये। भातईयों के स्वागत के पश्चात वर के परिवार के सभी उपस्थित पुरुषों एवं लड़कों को तिलक करके रुपये दें।

नोट :– (1) अनुपस्थित सम्बन्धियों का तिलक देना उचित नहीं है। तिलक केवल उसी समय होंगे जब वर का मामा स्वयं भात लेकर आये अन्यथा वर के पिता का तिलक भेजा जाये।

(2)*यह धाराएँ (34,35,36) आवश्यक नहीं हैं, इच्छानुसार की जा सकती हैं।

धारा 39. घुड़चढ़ी व प्रस्थान बारात – वर को स्नान उपरान्त भात में आये वस्त्र पहनाये जायें। वर का बहनोई अथवा मामा सेहरा, साफा बाँधे व कलगी लगाये तथा जूता पहनायें। उन्हें वर के पिता इच्छानुसार उपहार या रुपये दें। गुलाबी दुपट्टा भी बहनोई बाधें। वर तथा विनायक को आंगन में चौक पुरवा कर पट्टों/कुर्सियों पर बिठाया जाये। सबसे पहले वर का बहनोई तिलक करे। फिर अन्य कुटुम्बी, सम्बन्धी व मित्रगण तिलक करके व्यवहार अनुसार भेंट दें और वर को आर्शीवाद दें। भाभी, चाची, मामी को काजल डलवाकर नेग दिया जाय। वर बहन, भुआ, भतीजी, भांजी तथा मौसी को इच्छानुसार वस्त्र या नकद देकर सम्मानित करे। वर अपनी माता को भी सम्मान पूर्वक कुछ भेंट दे। इसके पश्चात बहन/भुआ आरता करें तथा वर कुछ भेंट थाली में दे। वर घोड़ी पर चढ़कर अथवा अन्य किसी सवारी में बैठकर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ावे, फिर बारात प्रस्थान करे।

छठा परिच्छेद

कन्या के यहाँ बरात आने के बाद की रस्में

धारा 40. जनवासा – दोनों पक्षों की सहमति से कन्या पक्ष उचित एवं सुव्यवस्थित स्थान (जनवासा) पर बारात को ठहराने व सत्कार का प्रबन्ध करे। जनवासे में ठहरने का व्यय वर पक्ष को देना चाहिये।

धारा 41. गोद – बरी के साथ वर पक्ष 1 गोद, जिसमें 500 ग्राम मेवा और 11 रुपया नकद हों, कन्या पक्ष के यहाँ भेज दें। यह गोद बरी पहनाने के समय वधू की गोद में दी जाये।

धारा 42. निकासी – पाणिग्रहण संस्कार के समय को ध्यान में रखते हुए निकासी निकाली जाये। इसमें अनावश्यक आडम्बर तथा व्यय नहीं होना चाहिये। निकासी में समयबद्धता रखना व पालन करना विशेष आवश्यक है। निमंत्रण पत्र में निकासी, स्वागत बारात एवं फेरों का समय दिया जाता है। परन्तु प्रायः सभी कार्य समय से 3–4 घंटे विलम्ब से सम्पन्न होते है। इनका एक कारण बारातियों का समय पर तैयार न होना–परन्तु मुख्य कारण– निकासी में अधिक समय तक नाच गाना है। वर पक्ष के अधिकतर बुजर्ग केवल 20–25 युवाओं की जिद और अधिक उत्साह के कारण बेबस हो जाते है।

दूसरी ओर विलम्ब होने से कन्या पक्ष तथा उनके द्वारा आमन्त्रित अतिथियों को, देर रात्रि तक रुकना तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण असुविधा व खिन्नता होती है। यह परिस्थिती वर पक्ष के लिये भी निन्दनीय होती है। विवाह के शुभ मुहुर्त की भी समयबद्धता नहीं रहती है।

नोट :– (1) **निकासी का कुल खर्चा वर पक्ष की ओर से होता है।**

(2) **बारातियों से सौम्य आचरण की अपेक्षा** – आप जिस नये परिवार के मेहमान हैं उससे आपके परिवार का जीवन पर्यन्त सम्बन्ध होने जा रहा है। लड़की के परिवार के सुख–दुःख, मान–सम्मान, सुविधा–असुविधा के भागीदार आप बनने जा रहे हैं। अपने क्षणिक आचरण से इस पवित्र सम्बन्ध को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिये।

अतः निम्न बातों का ध्यान रखें :–

(क) जनवासे में ठहरकर ऐसा कोई भी अशोभनीय कार्य या माँग न करें जिससे कन्या पक्ष को परेशानी का सामना करना पड़े।

(ख) निकासी एवं विवाह के अवसर पर मद्यपान करना अवांछनीय है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे सामाजिक स्तर पर सम्पन्न किया जाता है। अतः ध्यान रहे कि ऐसे अशोभनीय कार्यों को न किया जाये। इसे समाज द्वारा निंदित किया जाये तथा इसकी जिम्मेदारी वर तथा कन्या पक्ष के बड़ों की होनी चाहिये।

(ग) जयमाल के समय सभ्यतापूर्ण शोभनीय व्यवहार होना चाहिये। छेड़छाड एवं हसीं मज़ाक की अतिश्योक्ति कर देरी करना उचित नहीं हैं।

(घ) रास्ते में नृत्य करना, और वह भी निरन्तर अधिक देर तक, अवांछनीय एवं अशोभनीय है। विवाह स्थल के अन्दर नृत्य इत्यादि करने का समुचित प्रबन्ध हो जाये तो उत्तम रहेगा। इसकी अग्रिम सूचना बारातियों को दी जानी चाहिये।

धारा 43. स्वागत बारात – कन्या के पिता के घर बारात पहुँचने पर द्वार पर कन्या पक्ष की ओर से दो लड़के, जो कन्या के छोटे भाई अथवा भतीजे हों, अगवानी के लिए आवें और वर द्वारा तिलक करके प्रत्येक को 1 नारियल तथा कुछ रुपये दिये जायें। कन्या पक्ष के स्थान पर पहुँचने पर बारात का यथा–सम्भव सत्कार किया जावे। बारात के स्वागत के पश्चात कन्या की माता आरता कर वर का स्वागत करें व वर को तिलक करके उपहार या रुपये दें।

वर द्वारा कन्या के भाई को तिलक

कन्या की माता द्वारा वर का आरता कर स्वागत

जयमाल : जयमाल हमारी संस्कृति का एक पवित्र बंधन है। कन्या पहले जयमाल डालकर अपनी स्वीकृति देती है तथा वर को स्वीकार करती है। जयमाल के पवित्र कार्य में छेड़छाड़ एवं हँसी मजाक की अतिश्योक्ति कर देरी कराना अवांछनीय है।

जयमाल

न्यातगुरी हेतु एक विशेष अनुग्रह

जयमाल के पश्चात आजकल प्रायः लड़का व लड़की स्टेज पर बैठ जाते हैं तथा सभी आमंत्रित बन्धु–बान्धव उन्हें आकर आशीर्वाद व भेंट इत्यादि देते हैं तथा उनका परिचय वर–वधू से कराया जाता है। इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाने हेतु विडियो फिल्म तथा स्टिल फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है।

न्यातगुरी (देखें धारा 61, पृष्ठ 26) की एक ऐसी प्रथा थी, जिसमें दोनों पक्षों के निकट सम्बन्धी तथा मित्रों का परिचय एक–दूसरे से कराया जाता था। अब यह प्रथा प्रायः समाप्त सी हो रही है यद्यपि इसकी आवश्यकता और उपयोगिता के सभी समर्थक हैं। यदि सुचारू रूप से पूर्व योजनाबद्ध तरीके से मंच से उद्घोषणा द्वारा वर तथा वधू के परिवार के सदस्यों को एक–एक करके बुलाया जाए तथा उनका परिचय फोटोग्राफी के साथ–साथ कराया जाए तो दोनों कार्य सुगमता एवं सुरुचिपूर्ण तरीके से पूरे होंगे। इस

कार्य को सम्पन्न कराने के लिये परिचय कराने वाले एक दो व्यक्ति (compere) होने चाहियें। दोनों परिवारों के कुछ सदस्यों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिये। इस प्रकार से परिचय, फोटोग्राफी, वर–वधू को आशीर्वाद का कार्यक्रम एक साथ हो जायेगा। अवश्य ही उक्त प्रथा से हमारे छोटे समाज में प्रेम और परिचय बढ़ेगा।

इसी अवसर पर वर पक्ष विभिन्न कार्यों हेतु दान देने की घोषणा करें। प्रथा अनुसार वर का परिवार भार्गव समाज के समाज उपयोगी कार्यक्रमों जैसे – विधवा कोष, शिक्षा कोष, ढोसी मन्दिर व डेहरा कोष एवं विविध भार्गव आश्रमों हेतु श्रृद्धानुसार दानों की घोषणा करता है।

धारा 44. सम्प्रदान – जयमाला के बाद सम्प्रदान की रस्म की जाये। जिसमें वर को एक चौकी पर, जिस पर लाल रंग का बिछावन हो, बैठाकर उसके हाथ से गणेश जी व नवग्रह का पूजन कराया जाये। उपस्थित पण्डितों को वर के हाथ से तिलक करवाकर दक्षिणा दी जाये। फिर पण्डित लोग शाखाचार पढ़ें। कन्या का पिता वर के पेची बांधे और तिलक करें। कन्या पक्ष की ओर से वर के पहनने के एक जोड़ी कपड़े (पाँच वस्त्र), घड़ी इत्यादि, चौकी व बिछावन जिस पर वर को बैठाया जाये और शगुन के रुपये सम्प्रदान के संकल्प के साथ भेंट किये जावें। इस अवसर पर सम्बन्धियों का परस्पर परिचय कराया जाना चाहिये।

नोट :– शुभ लग्न होने पर फेरे दिन में ही कराये जायें।

धारा 45. मंडप सजाना व चौंरी बाँधना – चौंरी मांढ़े के नीचे खड़ी की जाती है। चौंरी के नीचे यज्ञ की वेदी बनाई जानी चाहिये। मंडप के पूर्व के कोने में कलश की स्थापना की जावे और उसमें जल भरकर एक नारियल उस पर रख दिया जावे। वेदी के सामने दो पट्टे वर कन्या के बैठने के लिये बिछाये जावें।

धारा 46. फेरों के लिये आवश्यक सामग्री – डाब या दूब 125 टुकड़े, दूध 250 ग्राम, दही 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, केसर सहित चन्दन घिसा हुआ, जल एक बाल्टी, रेजगारी आवश्यकतानुसार, कलश मिट्टी–1, करवा–1, नारियल–1, आम की टहनी–2, सरसों–5 ग्राम, फूलमाला–5, फल–5, बताशे–250 ग्राम, धूप, रूई, पान–20, सुपारी साबुत 100 ग्राम, शहद 5 ग्राम, छोटी हल्दी की गाँठ–2, रोली, सराई बरवे–10, मौली या डोरे–5, पंखा एक, धान की खील–250 ग्राम, पूजन की थाली, मटकने–2, कांसे की कटोरी–1, सिन्दूर, शंख, लोढी–पत्थर।

हवन के लिये आवश्यक सामग्री : धूप 100 ग्राम, तिल 100 ग्राम, जौ 250 ग्राम, मेवा 100 ग्राम, खांड 250 ग्राम, घी कटोरे में 250 ग्राम, लकड़ी ढाक या आम की दो किलो, कपूर 10 ग्राम, पोला एक (सोने के पत्रे का बना), वस्त्रदान के लिए एक साड़ी, नारियल–2, पंच पात्र–1, आचमनी–1, ढाक के पत्ते–दस।

धारा 47. पाणिग्रहण पूर्व – विवाह मुहुर्त के समय कन्या बहन, भुआ के घर से आयी चुँदड़ी पहने। मामा उसको सिल पर खड़ा करके अनवट और बिछिये पहनायें। एक बन्द सिकोरे में दही रखे उसके ऊपर कन्या पैर रखकर आगे कदम बढ़ायें। जो आभूषण कन्या को देने हैं वह भी उसे पहना दिया जाये। यह आवश्यक है कि फेरों के समय कन्या के शरीर पर वर पक्ष की ओर का कोई वस्त्र या आभूषण न हो। वर व कन्या को नीले या काले रंग के वस्त्र न पहनाये। कन्या के माता–पिता, ताऊ–चाचा, मामा आदि जो कन्या से बड़े हों फेरों के दिन ब्रत रख सकते हैं।

सातवाँ परिच्छेद

विवाह संस्कार

धारा 48. कन्या के पिता द्वारा वर का सत्कार – वर को आदरपूर्वक बुलाकर पट्टे पर बिठाया जावे और कन्या का पिता उसके सत्कारार्थ उसको "मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्" (मधुपर्क लीजिये) कहकर मधुपर्क (दही की लस्सी) भेंट करें और वर धन्यवाद देकर उसे ले तथा पीकर मुख प्रक्षालन कर ले। इसके बाद कन्या को बुला कर वर के दांई ओर बिठाया जावे। कन्या पक्ष के प्रतिनिधि, पिता, भाई आदि जो भी हों, उन्हें पत्नी सहित कन्या की ओर बिठायें।

धारा 49. कन्या प्रदान – कन्या के बैठने के पश्चात् कन्या का पिता इन शब्दों के साथ कन्या प्रदान करे :–

अद्यस्मिन् जम्बे द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते अमुक ––––– संवत्सरे अमुक ––––– मासे अमुक ––– पक्षे तिथौ अमुक ––– वासरे अमुक ––––– गोत्रोत्पन्नो अमुक ––––– पौत्रो अमुक ––– पुत्रो अमुक ––––– नामाहं अमुक ––– नाम्नीं यथाशक्त्यलंकृता गिमां मम दुहितरं अमुक ––––– गोत्रोत्पन्नाय अमुक ––––– पौत्राय अमुक ––––– पुत्राय अमुक ––––– नाम्ने भवते पत्नीत्वेन सम्प्रदे तत् प्रतिगृह्णात् भवान्।

(आज इस जम्बू द्वीप स्थित भरतखंड के आर्यावर्त प्रदेश में अमुक संवत् के अमुक मास के अमुक पक्ष में अमुक तिथि पर अमुक वार को अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक का पौत्र अमुक का पुत्र अमुक नाम वाला मैं अमुक नाम वाली यथाशक्ति अलंकृता इस अपनी पुत्री को अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक के पौत्र अमुक के पुत्र अमुक नाम वाले आपको पत्नीरूप में प्रदान करता हूँ। इसको स्वीकार कीजिए।)

कन्या का पिता, कन्या का हाथ वर के हाथ में प्रदान करता है। इसी प्रकार कन्या के ताऊ, बाबा, नाना, चाचा, मामा, मौसा आदि सपत्नीक कन्या दान करें।

वर यह उत्तर दे : *ॐ प्रतिगहणामि* ***(मुझे अंगीकार है।)***

धारा 50. वर वधू द्वारा हवन – इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों के उच्चारण के साथ वर और वधू हवन करें :–

वर वधू द्वारा हवन

(1) *ओं समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ। स मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ।। स्वाहा।।*

(2) *ओं भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे स्वाहा।।*

(3) *ओम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ँसृजेथामयं च।*

(4) *ओम् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।*

(5) *ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्। अस्मिन् हव्या जुहोतन। इदमग्नये इदन्न मम।*

(6) ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तोव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।।

(7) ओं तं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि। वृहच्छोचा यविष्ठिय स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम।।

(8) ओं यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा।।

(9) ओं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा।।

(10) ओं भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः।
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा।।

(11) ओम् अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि स्वाहा।।

(12) ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा।।

(13) ओम् अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव, वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा।।

(14) ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।

(15) ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम्। अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा।। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम।

धारा 51. पाणिग्रहण — हवन के बाद वर–वधू खड़े हो जायें और वधू का हाथ पकड़ कर वर यह मंत्र बोले :–

ॐ गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः। भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः।

(हे वधू, मैं सौभाग्य के लिये तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ ताकि तुम मेरे (पति के) साथ वृद्धावस्था पर्यन्त सुखपूर्वक रहो। सविता अर्यमा पूषा आदि देवता गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए तुम को मेरे प्रति अर्पित कर रहे हैं।)

धारा 52. अश्मारोपण — पाणिग्रहण के अनन्तर वर यह मंत्र बोले :–

ओम् आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव। अभितिष्ठ पृतन्यतो बाधस्व पृतनायतः ***(हे देवि, इस पत्थर पर पैर रक्खो और इसके समान ही धर्माचरण में स्थिर रहो। बाधाओं का डट कर सामना करो और विरोधियों का विफल मनोरथ करो।)***

वर के द्वारा इस मंत्र के बोलने पर कन्या पास में रक्खे हुए पत्थर पर पाँव रक्खे। इसके बाद वर–वधू पुनः बैठ जावें।

धारा 53. लाजा होम — कन्या का भाई वर की अंजलि के ऊपर वधू की अंजलि रखवा कर उसके हाथ में खीलें दे और कन्या इन तीन मंत्रों को बोल कर अग्नि में उन खीलों को विसर्जित करे।

(1) ओम् अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत। स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्च मा पतेः स्वाहा। इदमर्यम्णे अग्नये इदं न मम। ***(अर्यमा देव की पूजा करती हुई मैं कन्या कहती हूँ कि आप मुझे यहां से वियुक्त करके भी पति से कभी वियुक्त न होने दें।)***

(2) ओम् इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका। आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ***(खीलों को अग्नि में डालती हुई मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति आयुष्मान् हों और मेरे कुटुम्ब के लोग सम्पन्न हों।)***

(3) ओम् इमान् लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव। मम तुभ्यं च संवननं तदग्निमरनुमन्यताम्। इयꣳस्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ***(पति को संबोधन करती हुई – इन खीलों को तुम्हारी समृद्धि के लिए मैं अग्नि में डालती हूँ। मेरे और तुम्हारे अनुराग के प्रति इन अग्निदेव की अनुमति हो।)***

धारा 54. फेरे – लाजा होम के बाद आगे वधू और पीछे वर रह कर हाथ पकड़कर अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा करें और वर यह मंत्र बोले :

ओं तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्या बहतुनासह। पुनः पतिभ्यो जाया दा अग्ने प्रजया सह। ***(हे अग्निदेव सूर्या को पहले उसके अभिभावकों ने तुम्हारे संरक्षण में रक्खा था और तुमने उसे पत्नी रूप में सोम को दिया था। इसी प्रकार अब भी तुम मुझ को इसे पत्नी रूप में प्रदान करो।)***

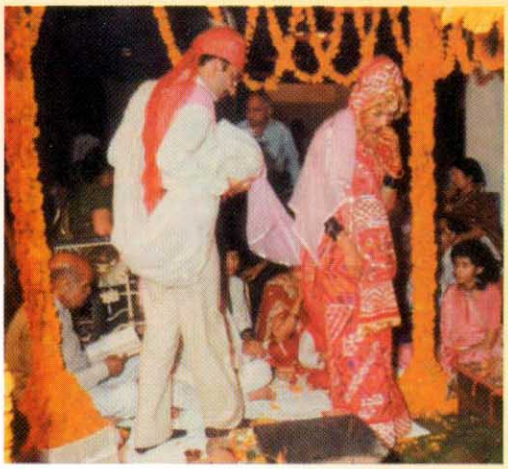

फेरे – आगे वधू तथा पीछे वर

इन तीन प्रदक्षिणाओं के बाद बची हुई खीलों को कन्या का भाई कन्या के हाथ में दे दें और कन्या इस मंत्र के साथ उनको अग्नि में विसर्जन करे : ओं भगाय स्वाहा। इदं न मम।।

तदनन्तर आगे वर तथा पीछे कन्या रहकर चौथी प्रदक्षिणा करें।

धारा 55. गठ जोड़ा और सप्तपदी – यह बहन–बेटी की ओर से हो। गठजोड़ा वर की सवासनी बनाती है। पाँच मीटर सफेद वस्त्र (धोती के माप का) लेकर उसे हल्दी से चीतकर (*हल्दी व मैदा को पानी में घोलकर उंगलियों से कपड़े पर चारों तरफ कोई सुन्दर नमूना बनाया जाता है।*) उसमें एक नारियल हल्दी की गाँठ, सुपारी, दूब व पैसा रखकर बाँधा जाता है। इसे गठ जोड़ा कहते हैं। इसे कन्या के उत्तरी वस्त्र से बाँधकर दूसरा छोर वर के दुपट्टे के साथ बाँधा जाये। तदनन्तर वर–वधू हाथ पकड़ कर सात कदम चलें। प्रत्येक कदम पर वधू को संबोधित करता हुआ वर निम्नलिखित मंत्रों में से एक–एक क्रमशः बोले :–

फेरे – आगे वर तथा पीछे वधू

(1) *ओम् इषे एकपदी भव। सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। पुत्रान् विन्दावहै बहूंस्ते सन्तु जरदष्टयः।* ***(हे देवी अन्न की बहुलता के लिए पहला कदम रक्खो।)***

(2) *ओम् ऊर्जे द्विपदी भव।* ***(बल प्राप्ति के लिए दूसरा कदम रक्खो।)***

(3) ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव। ***(समृद्धि के लिए तीसरा कदम रक्खो।)***

(4) ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव। ***(सुखोत्पत्ति के लिए चौथा कदम रक्खो।)***

(5) ओं प्रजाभ्यः पंचपदी भव। ***(सन्तान के लिए पाँचवा कदम रक्खो।)***

(6) ओम् ऋतुभ्यः षट्पदी भव। ***(ऋतुओं की अनुकूलता के लिए छठा कदम रक्खो।)***

(7) ओं सखा सप्तपदी भव। ***(सातवें कदम में मेरी सखा बन जाओ।)***

धारा 56. वचन — सप्तपदी के उपरान्त वर कन्या पुनः बैठ जायें और वर कन्या से *"इदानीं ममॅ वामांगमेहि"* ***(अब मेरे वामांग में आओ)*** कहे, परन्तु कन्या वामांग में आने से पहले अपनी सात शर्तें रक्खे जिन्हें वचन कहते हैं। उचित तो यह है कि इन शर्तों को कन्या बोले, परन्तु यदि कन्या की ओर से पुरोहित बोले तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि कन्या और वर दोनों ही इन्हें ध्यान से सुनें।

वचन 1. *तीर्थ–व्रतोद्यापन–यज्ञदानं, मया सह त्वं यदि कान्त कुर्याः।*
वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी।।
(यदि तीर्थ, व्रतोद्यापन, यज्ञदानादि में आप मुझे संग रक्खें, तो मैं आपके वामांग में आऊं।)

वचन 2. *नमस्यया देववरं गुरूंश्च, सुसत्क्रियाभिर्यदि पूजयेथाः।*
वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्।।
(यदि वन्दना द्वारा परमेश्वर का और सत्कार द्वारा गुरुजनों का पूजन करें तो मैं आपके वामांग में आऊं।)

वचन 3. *कुटुम्बरक्षाभरणे यदि त्वं, कुर्याःसदा स्नेहनिविष्टचेताः।*
वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं तृतीयम्।।
(यदि स्नेह निविष्ट चित्त से आप सदा कुटुम्ब की रक्षा करें और भरण पोषण करें तो मैं आपके वामांग में आऊं।)

वचन 4. *आयव्यये धान्यधनादिकानां, पृष्ट्वा निवेशं यदि मां च कुर्याः।*
वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्।।
(यदि आमदनी का खर्च और धन धान्य आदि का संग्रह सदा मेरी सलाह से करें, तो मैं आपके वामांग में आऊं।)

वचन 5. *देवालयारामतडागकूप – वापीविधाने यदि मंत्रयेथाः।*
वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं च पंचमम्।।
(यदि मकान, मन्दिर, बगीचा, तालाब, कुआं, बाबड़ी आदि बनाने में मेरी सलाह लें, तो मैं आपके वामांग में आऊं।)

वचन 6. *देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, कुर्याः स्वसंस्कृत्यभिरक्षणं त्वम्।*

वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं च षष्ठम्।।

(यदि देश में या परदेश में रहते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करें तो मैं आपके वामांग में आऊँ)

वचन 7. *न सेवनीया यदि पारकीया, त्वया भवेत् तीव्रनिकामनेऽपि।*

वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्।।

(यदि तीव्र इच्छा होने पर भी आप परस्त्री का सेवन न करें तो मैं आपके वामांग में आऊँ।)

वर इन शर्तों को स्वीकार करता हुआ अपनी एक शर्त इस प्रकार रक्खे :–

मदीयचित्तानुगतं च चित्तं, कृत्वा सदैव प्रियवादिनी स्याः।
पतिव्रताधर्मपरायणा त्वं, कुर्यास्सदा सर्वमिदं सयत्नम्।।

(यदि तुम पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई मेरे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रख कर सदा मीठा बोलोगी तो मैं भी यतनपूर्वक तुम्हारी शर्तों का पालन करूंगा।)

वर के द्वारा इस वचन को बोलना और कन्या का स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है।

धारा 57. आसन परिवर्तन और मांग में सिन्दूर – वचनों की परस्पर स्वीकृति के बाद वधू वर के वामांग में आवे और वधू की मांग चाँदी के रूपये अथवा अँगूठी से सिन्दूर भरता हुआ वर यह मंत्र बोले :–

ओं सुमंगलीरियं वधू रिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यथास्तं विपरेतन।।

(यह मंगलमयी वधू है। इस पर कृपा दृष्टि डालिये और इसको सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अपने–अपने घर पधारिये।)

मांग में सिन्दूर भरना

धारा 58. दक्षिणा आचार्य – आचार्य को विवाह संस्कार सम्पन्न करवाने की दक्षिणा और पूजन के पैसे दिये जायें।

धारा 59. भूरसी दक्षिणा – विवाह कार्य समाप्त होने पर वर पक्ष इच्छानुसार भूरसी दक्षिणा का संकल्प करें। वह रुपया उपस्थित सेवकों को बांटने के लिए कन्या–पक्ष को दे दिया जावे।

धारा 60. वारीफेरी व आरता – इसके पश्चात् वधू की बहन व बुआ वर वधू का आरता करे, और वर इच्छानुसार रुपये आरते में डालें।

नोट :– जूता चुराई : कन्या की छोटी बहन, भतीजी जो वर का जूता छिपा लेती हैं उन्हें उचित उपहार या रुपए दिये जायें। वैसे एक नारियल व पान दिया जाता है।

(यह नेग हंसी मजाक का होता है, उसे अनुचित रूप में न लिया जाय।)

आठवाँ परिच्छेद

विवाह संस्कार के बाद की रस्में

धारा 61. न्यातगुरी का संकल्प – वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को आमंत्रित कर उनका उचित सत्कार करें। वर पक्ष की ओर से वर के हाथों श्री गणेश जी व नवग्रहों का पूजन करवा कर इच्छानुसार रुपये का न्यातगुरी संकल्प कराया जावे। यह रुपया ढोसी मंदिर के लिये भार्गव सभा को भेज दिया जावे। दोनों पक्ष के परिवारजनों तथा मित्रों का पारस्परिक परिचय कराया जाय। वर पक्ष परोपकारी कार्यों के लिये विविध संस्थाओं को श्रद्धानुसार दान देता है। कन्या का पिता एक 250 ग्राम का लड्डू और एक सोने की सींक वर के कुटुम्ब के बुजुर्ग को भेंट करें। दोनों पक्ष भूल चूक व असुविधा के लिये क्षमा याचना करें।

धारा 62. बरी – फेरों के बाद वर पक्ष बरी अर्थात् जो वस्तुयें वर पक्ष की ओर से वधू को भेंट की जावें, कन्या पक्ष के यहां भेज दें। इसमें निम्नलिखित वस्तुयें होनी आवश्यक हैं : साड़ी, चुनरी, मौड़ी, चूड़ियाँ, मेंहदी, डोरे, अन्य श्रृंगार की सभी सामग्री व आभूषण, चप्पल एक जोड़ा हो। मिठाई फल व मेवा की गोद दी जाय। यह रस्म फेरों से पूर्व दिन में भी कर सकते हैं। सिर्फ चुनरी व गोद रोक ली जाय व फेरों के बाद चुनरी ओढ़ाकर गोद दे दी जाय।

नोट :– (1) जो लड़कियाँ बरी पहनाने जायें उन्हें भेंट देनी चाहिये (क्योंकि बारात में पुरुषों को तिलक देते हैं, लड़कियों को तिलक नहीं दिया जाता। अतः उन्हें बरी पहनाई में द्रव्य देना चाहिये)।

धारा 63. बायना – विदा से पूर्व 11 किलो बायने (विवाह व गौने के) टोकरी में जिस पर गुलाबी कपड़ा सिला हो, मांढे के नीचे रख दिये जावें। यह टोकरी वधू के साथ विदा के समय दी जावे।

धारा 64. विदा – वर–वधू को पट्टे पर बिठाकर यथावत पूजन करायें तथा परिवार जन एवं निकट सम्बन्धी, तिलक करें। साथ ही वर के पितामह, नाना, मामा, पिता, चाचा, ताऊ व सवासनों को जो उपस्थित हों, उनके सम्मान में तिलक किये जायें तथा भाव–भीनी बिदाई दें। इन लोगों को सम्मान स्वरूप 7 तीयल व 5 जोड़े भी दिये जाते रहे हैं। अपनी कन्या को आप हमेशा देते रहेंगे परन्तु सास–ससुर, नाना–नानी, दादा–दादी इत्यादि को आदर स्वरूप भेंट देने का यही उचित अवसर है।

नोट :– कुछ लोगों का मत है कि जोड़े व तियल देना आवश्यक नहीं होना चाहिए ।

धारा 65. फेर पट्टा – यह रस्म कन्या पक्ष के यहां आखिरी रस्म है। इसके बाद वर–वधू विदा कर दिये जाते हैं और वहां ठहर नहीं सकते। यह रस्म सूर्य की साक्षी में होना आवश्यक है, अतः सूर्य अस्त होने पर नहीं हो सकती है।

रस्म इस प्रकार है – आंगन में चौक पुरवा कर दो पट्टे बिछाये जायें। वर–वधू को उन पर बिठाया जाये और वर के हाथ से श्री गणेश जी व नवग्रह का पूजन कराया जाये। वधू की सवासनी आरता करे और वर उसको भेंट दे। इसके बाद पट्टे फेर दिये जावें अर्थात् जो पट्टा वधू के नीचे था, वर के नीचे एवं जो वर के नीचे था, वह वधू के नीचे रख दिया जाये। पट्टे इस प्रकार उठाये जायें कि आपस भिड़ने न पायें। पट्टा व नई सीप वर पक्ष को दे दी जाये। उसके बाद दोनों को विदा कर दिया जाये। यदि प्रस्थान में देरी हो तो जनवासे अथवा दूसरे मकान में ठहरा दिया जाये।

नवाँ परिच्छेद

बारात वापिस आने के बाद की रस्में

धारा 66. बारात का लौटना – बारात वापस आने पर जब नव वधू वर के घर पहुँचती है तो नंद उसकी मांग भरकर वधू को गाड़ी से उतारती है। वर की माता मुख्य द्वार पर चौक पूरकर पट्टेपर दोनों को खड़ा कर आरता करती है। इसके पश्चात एक रस्सी (जो पहले छाछ बिलोने के उपयोग में लाई जाती थी।) से दोनों को नापती है कि वधू मेरे पुत्र के अनुसार लम्बी है या नहीं ? फिर सात छोटी तश्तरियों में कच्चे आटे की सात पूरी बनाकर रख दी जाती हैं। वर से कहते हैं कि उसके पास तलवार या कटार जो भी हो उससे उसे बिना आवाज किए छुआते जाएँ व पीछे वधू उन तश्तरियों (प्लेट) को इस तरह से उठावे कि वो आपस में आवाज ना करें।

इससे यह पता चलता है कि वर व वधू दांपत्य जीवन में शांति एवं सुघड़ता से जीवन निर्वाह करेंगे।

बिछी हुई तश्तरियों को वधू द्वारा उठाया जाना

बार रुकाई – यह प्रथा देव पूजा के बाद कराई जाये तो अच्छा है। लम्बे सफर से नये परिवेश में आते हैं। दरवाजे पर रोक कर लम्बे समय तक बहस व मजाक वधू को परेशान करता है। इसलिये घर में आने के बाद देव पूजा करा लें। फिर देव घर के दरवाजे पर बाहर रुकाई करें।

धारा 67. कांकन खोलना – वर वधू के कांकन, यदि बंधे हों, तो खोल दिये जायें। फिर बायने खोले जायें। सवासनी आरता करें। इसी दिन सुहागी बरूठे जिमाये जावें। धारा 23 के अनुसार रतजगे में रात रखकर सभी सामान रखकर वर व वधू कुल देवी का पूजन करें। कांकन की रस्म होने के बाद वधू की मुट्ठी वर द्वारा खुलवाते हैं, फिर वर की मुट्ठी वधू द्वारा खुलवायी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर व वधू दोनों अपने दांपत्य जीवन में आने वाली समस्याओं एवं अधिग्रहित वस्तुओं को बिना किसी छिपाव के साथ–साथ बाँटें।

कांकन खिलवाना

धारा 68. वधू परिचय एवं आशीर्वाद समारोह – बारात के वापिस आने पर वर पक्ष की ओर से आगन्तुक परिवार जन व सम्बन्धियों को बिदा करने से पूर्व सुविधानुसार प्रियजनों को आमंत्रित कर वधू परिचय व आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

परिशिष्ट

विवाह में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों का विवरण

पूजन की सामग्री (धारा 18 पृष्ठ 13) – गणेश व ब्रह्मा जी की प्रतिमा व चित्र, पूजन की थाली, एक छोटी घंटी या पंचपात्र जल के लिये, रोली, चावल, पान, फूल – फूलमाला, बताशा, दूब, रूई, कलावा, सरसों का तेल (दीपक जलाने को), हल्दी की गाँठ 10, सुपारी, मूँग, चावल, कुकड़ी, सीप, पट्टे, कांकन के लिये चार छल्ले लाख व चार छलले लोहे के, राई व नमक, लाल कपड़ा, कुलदेवी की पिटारी, मायदे की तीयल, पावड़े पर चार ब्लाउज, बायने का टोकरा व ऊपर से सिलने वाला गुलाबी कपड़ा, दियासलाई।

देवताओं के निमित्त बनाये जाने वाले पकवान तथा सीधा – देवताओं के पूजन के निमित्त किसी परिवार में 9 किलो व किसी परिवार में 11 किलो तक के पावड़े बनाये जाते हैं। यह गिनती में 210, 220 बनाये जाते हैं। कन्या के विवाह में पावड़े तेलताई, रतजगा, फेरे व विदा के समय रखे जाते हैं। हर बार के पावड़े पर एक ब्लाउज व 1 रुपया रखा जाता है। फेरे व विदा के समय के पावड़े कन्या की ससुराल जाते हैं। रतजगे व तेलताई के पावड़े व ब्लाउज अपनी ननद, भान्जी, जिठानी की लड़कियों को दिये जाते हैं।

सीधा भी जिसमें 1 किलो आटा या मैदा, आधा किलो गुड़ व 250 ग्राम घी रखा जाता है। सीधे भी चार होते हैं।

अगर किसी को सारे पावड़े बनवाने व कहीं बाहर ले जाने के कारण असुविधा हो तो 4.5 किलो मैदा के पावड़े बनवा लें। अगर उसमें भी असुविधा हो तो सवा दो किलो के बनाकर प्रत्येक बार उस पावड़े में जितने पैसे लगे हों उतने पावड़े के नाम के टोकरी में पैसे रख दें। इसी प्रकार एक सीधा निकालें व जितने पैसे में वह तैयार हुआ हो, उतने पैसे रख दें। चार पावड़े चाक पूजन की थाली में भी रखे जाते हैं।

जोड़े एवं तीयल (पृष्ठ 26) – हमारे समाज में आज पांच जोड़े व सात तीयल देने की प्रथा है। समधी, नानसरा–दादसरा, सवासना व चाचा ताऊ, समधन – नानी जी, दादी जी, वन्दनवार, पिछोया – फेरपट्टा व वस्त्र दान अच्छा हो, कि पिछोया फेरपट्टा या अगर दादी जी नहीं हो तो यह तीयल कन्या की जिठानी या जिसको वर पक्ष सम्मान देना चाह रहा हो उसी के नाम से दें। इसी प्रकार जोड़े देकर सम्मान करें। कहीं भी कन्या पक्ष को श्रृद्धा व सामर्थ्य से बाहर न जाना पड़े, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।

कन्या के विवाह में दिया जाने वाला सामान

बर्तन – 2 कूँड़, 1 परात, 1 टोकनी, 1 लोटा, बायने 11 किलो, माठ 11 पूरी, सकरपारे सवा दो किलो की दो कोथली, टोकरी में 21 लड्डू–एक बड़ा होता है, जिसमें 1 रुपया रखकर बनवाया जाता है। वर को बुजुर्ग को देने के लिये 1 बड़ा लड्डू रुपया रखकर, सोने की सींक के साथ दिया जाता है। लोटे में घी होता है। लड्डू व कचौरी के पत्तल व मिठाई वगैरह देने की भी प्रथा है।

नोट :– (1) कूँड, परात, टोकरी, लोटा बन्द होना चाहिये क्योंकि घरों में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इनके स्थान पर लड़के वालों से पूछकर चौके की कोई और वस्तु दे दी जाये। यदि देना जरुरी हो तो।

Sigma Minerals Ltd.

(An ISO 9001 & 14001 Certified Company)

- Mine Owners, Mfrs. & Exporters of Hydrated Lime, Quick Lime & Lime Stone.
- The only Manufacturer of Highest Purity Calcium Hydroxide in the Country.

Sigma

Hydrated Lime 96±1% (Pride)
Hydrated Lime +94% (Pearl)
Hydrated Lime +93% (Special), +92% (Super-A)
Hydrated Lime +90%, +85%, 80%, +75 & +70%
Quick Lime Lumps as CaO +85%
Quick Lime Powder

BUREAU VERITAS
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 008

It's the First ISO 9001 and Only 14001 Certified Hydrated Lime Manufacturing Company In India

For Further Enquiries, Please Contact At

4, Heavy Industrial Area, JODHPUR - 342 003 (Raj) INDIA
Tel. : +91-291-2740970, 2741108 Fax : +91-291-2740664
E-mail : info@sigmaminerals.com Web:www.sigmaminerals.com

Software and Web development

SERVICES

eCommerce Solutions
Auction Solutions
Mobile solutions
Social Networking Solutions
Web Application Development
Portal Development
CMS & Website Development
Website Maintenance
CRM & Sales Force Solutions
Business Analytics Solutions
Testing Services

OUR CLIENTS

Airtel
STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
FOSROC
intuit

TECHNOLOGIES

Grails, J2EE, PHP, ASP .NET, Drupal, Joomla, Liferay, Magento, X-Cart, Zen Cart, Ubercart, Pentaho, Jasper, BIRT, Selenium, JMeter, iPhone, Android, and more.

www.sigmainfo.net sales@sigmainfo.net

sigma INNOVATIONS UNLIMITED

SIGMA INFOSOLUTIONS LIMITED

INDIA - Bangalore : Sigma Towers, #66/A, 13th Cross, 6th Main, JP Nagar, 3rd Phase, Bangalore- 560078
Phone : +91-80-40865100,+91-80-41507692/3 Fax : +91-80-40865103

USA - California : 2082 Michelson Dr., Suite 100, Irvine, CA 92612, Phone : (714) 717-1826, Fax : (866) 405 6750
Toll Free : 1-888-861-7360

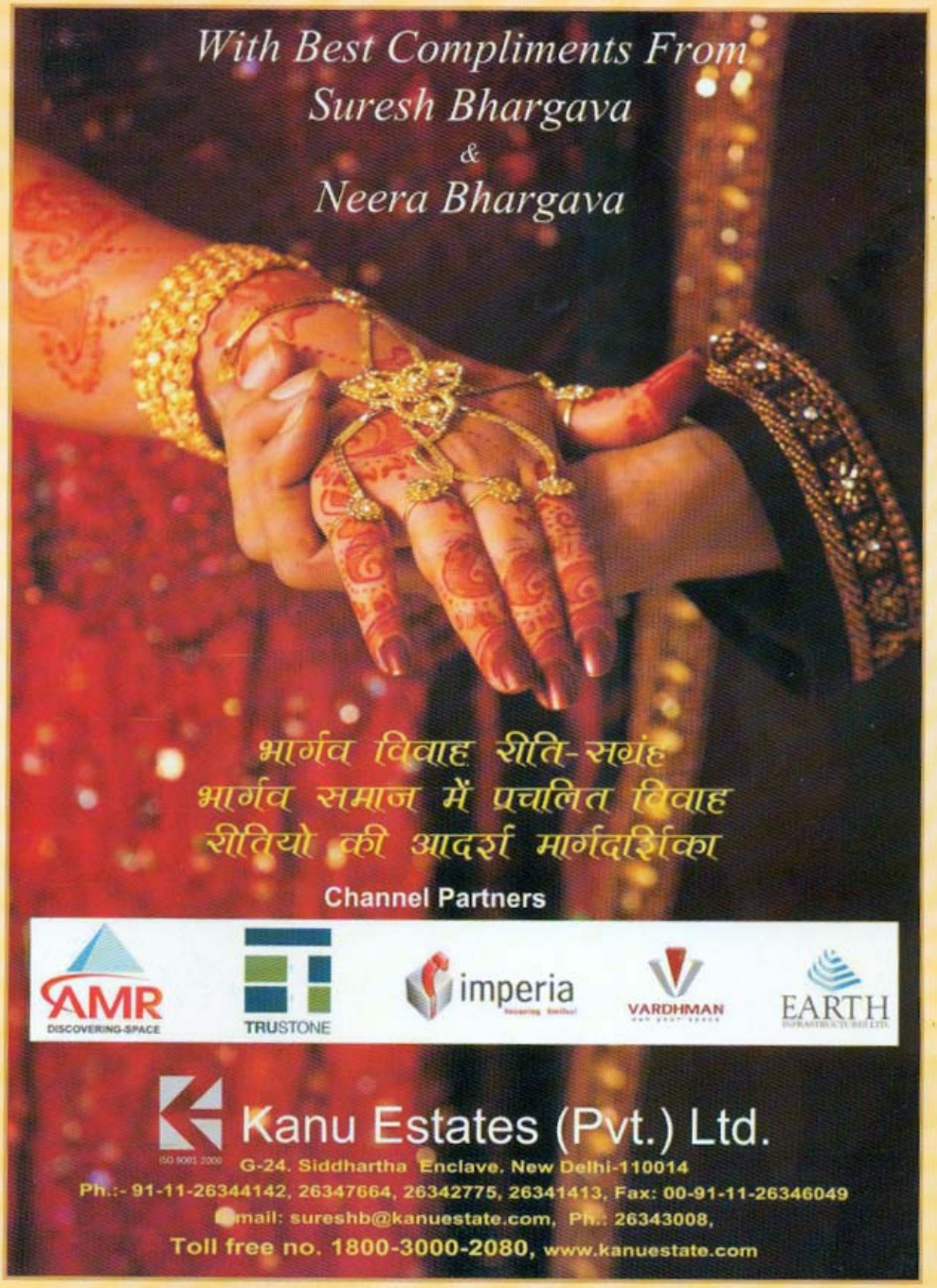
With Best Compliments From
Suresh Bhargava
&
Neera Bhargava
भार्गव विवाह रीति-संगंह
भार्गव समाज में प्रचलित विवाह
रीतियो की आदर्श मार्गदर्शिका
Channel Partners
AMR
DISCOVERING-SPACE
TRUSTONE
imperia
VARDHMAN
EARTH
Kanu Estates (Pvt.) Ltd.
G-24. Siddhartha Enclave. New Delhi-110014
Ph.:- 91-11-26344142, 26347664, 26342775, 26341413, Fax: 00-91-11-26346049
mail: sureshb@kanuestate.com, Ph.: 26343008,
Toll free no. 1800-3000-2080, www.kanuestate.com

卐 ।। श्री गणेशाय नमः ।। 卐

यमब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोद्‌गते कारणमीश्वरं वा, तस्मै नमो विघ्न विनाशनायः ।।१।।
जननी जन्मसौख्यानां, वर्द्धनी कुलसम्पादाम्। पदवी पद पूर्वपुण्यानां लिख्यते लग्नपत्रिकामः ।।२।।
अविघ्नं कुरुते नित्यं, विघ्नश्च प्रतिहन्यते। यात्रा मंगल सिद्धयर्थमेकदन्त नमोऽस्तुते ।।३।।
ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णु करोतु सम्पदाम्। शिवः करोतु कल्याणं, यस्येषा लग्नपत्रिका ।।४।।

卐 卐 卐

अथ शुभ सम्वत्सरेऽस्मिन् श्रीनृपतिवीरविक्रमादित्यराज्ये श्रीसम्वत् २० …… तत्र शालिवाहनस्य शकेः २० ……। तत्र महामांगल्मासोत्तमे……… मासे शुभे………… पक्षे………… शुभतिथौ………… तत्र………… बासरान्वितायाम् घट्यः ……… पलानि तत्र ……… नाम नक्षत्रे घ० ……प० …… तत्र ……… नामयोगे ……घ० ……प० …… नामकरणे ……… घ० …… प० …… एवं विधे पञ्चांग शुद्धौ तत्र दिनप्रमाणम घ० …… प० …… तत्र रात्रिप्रमाणं घ० …… प० …… अहोरात्रिप्रमाणम् ६० ……। …… ०० तत्रऽर्कगतांशा। शेषांशाः …… तदनुसार तारीख महीना …… सन् २० …… ई०) तत्र श्री सूर्योदयादिष्टम् ……… घ० ……… प०………। तत्समये लग्नोदये दिनगत समस्त रात्रिगत …… घ० ……… प० ……… वरनाम चिरञ्जीव ……… तस्य राशीः ……… सूर्यवलम् चन्द्रबलम् कन्या ………………………………………… राशीः गुरुबलम् चन्द्रबलम् रविबलम् त्रिबलम् साहाशुद्धौ लत्तादि दशदोष रहितम् पाणिग्रहणम्।

卐 अथ विवाह लग्न कुण्डलीम् 卐

वर के बान तेल

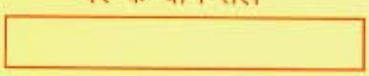

लग्न
हाथ
वृद्धि श्राद्ध
ॐ सिद्ध श्री शुभ स्थान

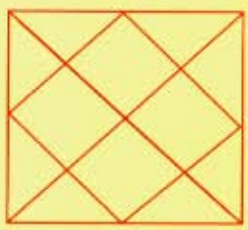

कन्या के बान तेल

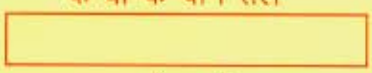

तेलताई
चाकभात
मांढ़ा रोपन

सर्वोपरि विराजमान श्रीमान्

श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ………………
श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ………………
श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ……………… श्रीमान् ………………
श्रीमान् ……………… आदि समस्त लघु दीर्घजनों को योग लिखि ……………… से ……………… तथा……………… तथा……………… तथा……………… तथा……………… तथा ……………… तथा ……………… तथा ……………… तथा……………… आदि समस्त लघु दीर्घजनों की यथा योग्य जय गोपाल स्वीकार हो अत्र कुशलम् तत्रास्तु। अथ निवेदन है कि सौभाग्यकांक्षिणी कुमारी………………का शुभ पाणिग्रहण संस्कार चिरंजीव ……………… से शुभ मिती………………वार ……………… सं० ……………… तदनुसार तारीख ………………सन् २० ……………… को होना निश्चित हुआ है, आप से करबद्ध प्रार्थना है कि शुभलग्न पर बरात सहित पधार कर मंडप की शोभा बढ़ावें। शुभम्

।। श्री गणेशाय नमः ।।

卐

अथ शुभ-विवाह भात पत्रिका

यमब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा, तस्मै नमो विघ्न विनाशनायः।।१।।

जननी जन्म सौख्यानां, वर्द्धनी कुल सम्पादाम्।
पदवी पूर्व पुण्यानां लिख्यते भात पत्रिका।।२।।

अविघ्न कुरुते नित्य, विघ्नश्च प्रति हन्यते।
यात्रा मंगल सिद्धयर्थमेकदन्त नमोऽस्तुते।।३।।

सिद्ध श्री शुभस्थान .....सर्वोपरि विराजमान् श्रीमान् .....

श्रीमान् ..... श्री ..... श्री ..... श्री .....

श्री ..... श्री ..... श्री ..... आदि समस्त लघु दीर्घ जनों

को योग लिखी ..... से श्री ..... श्री .....

श्री ..... श्री ..... श्री ..... श्री .....

लघु जनों का नमस्कार स्वीकार हो अत्र कुशलम् तत्रास्तु। अग्रे चि./सौ. कां. .....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... का शुभ विवाह संस्कार शुभ

मिति ..... वार ..... तदनुसार ता. .....

का होना निश्चित हुआ है। अतः प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर सब बाल गोपाल सहित भात लेकर पधारने

का कष्ट कर इस कार्य की शोभा बढ़ावें।

भात ता. ..... को प्रातः ..... बजे लिया जावेगा।

परिवार में सबको यथा योग्य शेष कुशल।

दिनांक :